INFLUX FROM PAKISTAN (CONTROL) REPEALING BILL

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): I beg to move:

"That the Bill to provide for the repeal of the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949, be taken into consideration."

Dr. S. P. Mookerjee (Calcutta South-East): Please speak up.

Shri J. K. Bhonsle: As the House is aware, traffic between India and Pakistan since the middle of 1948 was regulated by a system of permits. The Indian law which regulated the permit system was the Influx from Pakistan (Control) Act. 1949 (XXIII of 1949). In practice, exemptions were issued to facilitate freedom of movement on the eastern zone. Those persons coming from East Pakistan were exempt from being in possession of a permit except in the case of those displaced persons from West Pakistan requiring permission to come *via* East Bengal. In April this year the Government of Pakistan for the first time informed the Government of India of its intention to introduce a passport system instead of permits. This proposal was considered by us on merits and, as the House is aware, we were averse to raising in any degree the hardship of the people who have to move from one country into another for *bona fide* reasons. Especially we were averse to the introduction of restrictions for the first time on traffic......

Dr. N. B. Khare (Gwalior): This is what I call *talak*.

Shri J. K. Bhonsle: ..between East Bengal on the Pakistan side and the Indian States bordering on East Bengal. Such traffic had been free of all restrictions till then, and restrictions which the introduction of the passport system would impose on them amounted to a negation of the freedom of movement granted to these persons under the Prime Ministers' Pact of April 1950. The Pakistan Government could not see eye to eye with the view of the Government of India.

Shri B. S. Murthy (Eluru): They can never.

Shri J. K. Bhonsle: In the circumstances, the Government of India could only think in terms of minimising the hardship of people who have to move from one country into another for *bona fide* reasons as far as possible. It was agreed with the Government of Pakistan that the permit system be replaced by a passport system w.e.f. 15th October 1952. The repeal of the permit law was a necessary corollary to the introduction of the passport system and hence Government promulgated the Influx from Pakistan (Control) Repealing Ordinance 1952 which repealed the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949. This Bill now before the House is designed to convert the provisions of the Repealing Ordinance into an Act. The Bill itself is a simple one containing the usual repealing clause. The only feature of the Bill which might call for any comment is the 'savings' clause. This is designed to continue in force the penalty attracted under the Influx from Pakistan (Control) Act in respect of those persons who having come into India on a permit system before the 15th October 1952 continued to stay on in India and committed or may commit a breach of the permit conditions.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to provide for the repeal of the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949, be taken into consideration."

Shri A. C. Guha (Santipur): This is a very short Bill and in a sense a simple Bill also. But this Bill practically seeks Parliament's recognition of the introduction of the passport system. It may also be interpreted as the formal and official burial of the Delhi Pact. The entire Delhi Pact rests on certain clauses, the main clause being 'that there shall be freedom of movement and protection in transit'. With that clause, I think, the entire Delhi Pact goes down. In the course of replies to some questions, even the Prime Minister admitted that the introduction of the passport system would mean the virtual repudiation of the Delhi Pact.

Sir, I am not so much concerned about the Delhi Pact or any other pact. I do not attach any sanctity to any Pact. So many pacts have been signed in the international world and so many pacts have been disregarded either unilaterally or after joint deliberation of the signatories. So it is not a big point that this Bill is a formal repudiation and burial of the Delhi Pact. But I would like to request this House to consider this Act from the point of view of the common men's sufferings. On the western side, there was almost a complete cessation of communications, but that was not the case on the eastern side. Every day Government were publishing figures of so many thousand Hindus and Muslims going into East Bengal and so many thousand Hindus and Muslims coming from East Bengal into West Bengal.

Every day, up to the 14th of October, thousands of peope were coming and even now I can say that, this division

of Bengal has not been effected in economic or cultural fields. Thousands of East Bengal students are reading in West Bengal and I know of some West Bengal students also reading in East Bengal. Thousands of East Bengal men are earning their livelihood in West Bengal and Assam and there are many cases of some Indian citizens earning their livelihood in East Bengal. I think, some time ago in this House, a question was raised whether some of the tea gardens and some other industrial concerns and sugar mills in East Bengal were not able to start work due to the operation of the passport system, as the intending workers from the Indian side were not able to go to East Bengal. I know thousands of people have been waiting in queues for passport and visa and I also know what corruption is going on. It is not one-sided traffic. Corruption and inefficiency in issuing passports and visas are more or less common to both sides. There may be a difference of degree but it is all the same to the sufferings of the common man on this side or on that side.

When this partition was accepted, I remember on the 14th and 15th June, 1947, in this very city of Delhi, the All India Congress Committee, while accepting the partition passed a resolution and that resolution contains the words:

"The Congress has consistently upheld that the unity of India must be maintained. Congress has laboured for the realisation of a free and united India and millions of our people have suffered for this great cause. The long course of India's history and tradition bear witness to this essential unity. Geography and the mountains and the seas have fashioned India as she is and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and insistent demands of international forces make the unity of India still more necessary. The picture of India, we have learnt to cherish will remain in our minds and hearts. The A.I.C.C. earnestly trusts that when the present passions have subsided, India's problems will be viewed in their proper perspective and the false doctrine of two nations in India will be discredited and discarded by all."

When responsible leaders passed this resolution, they had to invoke the blessings of Mahatma Gandhi also. In spite of his definite opposition to partition, he was persuaded to come to the A.I.C.C. meeting and to bless this resolution.

I do not mean to suggest that they had been making any false claim when they passed that resolution with these noble words. Now, the Government, headed by leaders who were responsible for passing this resolution, have come before this House to put the seal of this Parliament on the partition of India as more or less final and as more or less taken for granted, if I may say so, for all time to come.

We started, at least I can say I started, my political life in and through the agitation against the partition of Bengal in 1905-1906. That partition of Bengal was annulled. When this time in 1946, through forces of circumstances, through manoeuvrings of international politics, we had to accept this partition, I at least believed that during our life-time this partition also would be annulled. That partition was annulled by one force but this partition can be annulled—and even now I expect that it will be annulled—by another force, by the force of democracy, the force of the common man asserting his own right.

Sir, even after the partition I had occasion to go to East Bengal several times and on one occasion I had to go on a Goodwill Mission with the present Chief Minister of East Bengal as one of the members of that Mission. I toured several districts of East Bengal, with some Muslim and some Hindu leaders of both West and East Bengal. I know the feelings both of the Hindus and Muslims of both Bengals and I can say that if both the Governments had behaved properly, things would never have come to this pass. There may be a question of difference; but I cannot say that our Government have behaved properly as regards Pakistan. We started with the theory propounded by some academic economists that Pakistan is an economic absurdity and it will crumble in a year or two. We started with that theory and proceeded on that basis and we committed several mistakes. While dealing with Pakistan we have always taken into consideration the set of people who are at the helm of affairs; we have not taken into consideration the common man who really forms the nation, who really forms the backbone of the country. We have not taken into consideration the feelings and sentiments that prevail at least in East Bengal side amongst the common men. Now, I think the leaders of the Congress will not proclaim their political bankruptcy by asking this House to pass this resolution. Only the other day, the Leader of the House, the leader of my party, Pandit Jawaharlal Nehru reiterated, of course in guarded terms due to his official position, his confidence and firm belief in essential units of India and that this position was not a permanent feature of India.

[Shri A. C. Guha]

Sir, only two days ago, the Pakistan Constituent Assembly passed a similar Act and there was a cry that the passport system should be scrapped. Here also I should like to raise the cry that the passport system should be scrapped, not from the point of view of any official or administrative difficulty but from the point of view of the common man and the suffering imposed on him.

On the 14th of October, I had occasion to go to the border territory which demarcates East Bengal from West Bengal. I have seen the miserable lot of the people and I have seen what separates East Bengal from West Bengal. Hundreds of miles, without any demarcation, without any natural boundary separate these two. Can you separate these two Bengals permanently by imposing this passport system? It is just like following King Canute of England, 'Thus far and no farther.' As the waves did not hear the King's command, so I think the common man of Bengal and the common man of India will not hear this Government command and will assert his right to be united. I know the risk and the danger in making this claim. But I think I owe it to myself and to my political conviction that I should raise this voice that the common man of the two Bengals must assert his right to be united. It is impossible to separate these two Bengals permanently or hermetically. No passport system can operate between East Bengal and West Bengal.

I think in the same Bill passed by the Constituent Assembly of Pakistan or in another Bill, there was a clause that anybody in possession of an illegal or bogus passport should be prosecuted. It is very difficult for the common man to distinguish between a real and a bogus passport. Some days ago, it was reported in some papers and it was also referred to here that a man applied for a passport by registered post and he got back an acknowledgment receipt and that poor man thought that that was the passport. He wanted to travel with that and he was caught by the Pakistan authorities and he was belaboured; and the report says that he died due to that. This is the lot of the common man under the passport system—which will create new crimes and offences for him—ingenuous as he is. The people on the border must have their traffic if they are to have any means of livelihood. The East Bengal Muslims come over to this side to sell their fish, egg, vegetables, jute etc. and people from this side go over to the East Bengal side to sell their articles. I think Mr. Tripathi referred to the ban put some time ago on the Cachar oranges passing over to East Bengal and as a result the orange sellers of Cachar had been put to great economic difficulty. Therefore, in view of the economic and cultural ties that exist even now between the two Bengals, our Government should take the initiative and persuade the Pakistan Government to terminate this passport system.

I know that in the circumstances which have developed the Government will have to pass a law like this. I know their obligations. Even so, they might have tried and allowed Pakistan acting unilaterally in this matter. I am not well versed in international etiquette, and therefore I cannot say how that arrangement would have worked. Now that the Government has decided to introduce the passport system, they will have to pass this Bill. But even now I would request the hon. Prime Minister, who is the leader of my party, to take the initiative so that the Pakistan Government may be persuaded to terminate the passport system. Let not false prestige stand in the way.

लाला अचिंत राम (हिसार) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह बिल बहुत छोटा सा है और इस पर कुछ ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आध बात जो मेरे दिल में आई, मैं समझता हूं कि वह ज़रा साफ़ कर दूं तो अच्छा हो। इस बिल का इतिहास तो आप को पता ही है कि सन् १९४९ में पहले एक ऐक्ट बना, उस के बाद १५ अक्तूबर, १९५२ को यह आर्डिनेंस हुआ और अब यह ऐक्ट बनने जा रहा है। जो रेफ़्यूजीज (Refugees) के इनफ़्लक्स (Influx) को कंट्रोल करने का आर्डिनेंस था, अब उसकी जगह यह मौजूदा ऐक्ट, जो पेश किया गया है, लेने जा रहा है। इस का इतिहास तो आप जानते ही हैं और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि उन्होंने इस बात की बहुत कोशिश की कि पासपोर्ट सिस्टम (Passport System) जारी न हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर इसरार (आग्रह) किया कि पासपोर्ट सिस्टम जारी करना है। बाद में उस ने यह भी कहा कि पन्द्रह दिन और मुल्तवी कर दें,

लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे वहां पर जो हिन्दू हैं उन के दिल में एक धसधसा और घबराहट रहेगी, इसलिये जितनी जल्दी यह पासपोर्ट सिस्टम जारी हो जाय, उतना अच्छा होगा। वहां से लोग नहीं आयेंगे। और तसकीन से रहेंगे। मतलब इसका यह है कि हम नहीं चाहते थे कि यह पासपोर्ट सिस्टम जारी हो।

अगर ऐसा हुआ तो यह हमारी मर्जी के खिलाफ़ हुआ, और बेहतर होता कि यह जारी न होता और सारा काम ऐसे ही चलता। हमारे दिल में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन सी वजह हुई कि ऐसा हुआ ? यह बात क्यों हुई कि इन्फ़्लक्स पाकिस्तान से वैस्ट बंगाल में आये या वैस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल को जाय। यह हमारी पालिसी नहीं है। हम अपनी तरफ़ से हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, जैसी कि हमारी गवर्नमेन्ट की पालिसी है, मैं भी इसके खिलाफ़ हूं कि एक्स्चेन्ज आफ़ पापुलेशन (Exchange of Population) हो। मैं इस के खिलाफ़ हूं कि हिन्दू यहां आयें और मुसलमान यहां से पाकिस्तान जायें। लेकिन बाज बातें हमारी कोशिशों के बावजूद भी हो जाती हैं। तो फिर हम क्या करें ? मैं पूछता हूं कि अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी इन्फ़्लक्स हमारे यहां आ जाता है तो हम क्या करेंगे। क्या हम इस बात को बुरा समझेंगे और कहेंगे कि आप लोगो ने कानून तोड़ा है, हम आप को सजा देंगे। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट का ऐसा रवैया नहीं होगा कि वह उन से कहे कि तुम मुजरिम हो, तुम ने ऐक्ट को तोड़ा है, तुम को सजा होगी या कैद होगी या जुर्माना होगा। मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट का यह मतलब नहीं है और न हमारी गवर्नमेन्ट का यह मतलब हो सकता है। अगर ऐक्ट के खिलाफ़ भी यह बात जाती हो तो भी परवाह नहीं है। हम ऐसे वक्त में यह कभी नहीं सोचेंगे कि उन्होंने ग़लत काम किया है। मैं तो कहूंगा कि जैसे गवर्नमेन्ट अब तक करती रही है उन के बसाने का इन्तज़ाम करेगी उन के खाने का इन्तज़ाम करेगी, उन के गुनाहों को नहीं देखेगी। अगर इस वास्ते कोई यह सोचे कि यह अच्छा नहीं हुआ तो भी मैं कहता हूं कि हम इन्फ़्लक्स नहीं चाहते, लेकिन जब वह आ गये तो उन का इन्तज़ाम तो हमें करना ही है। हमें उन के साथ हमदर्दी जाहिर करनी है, इसलिये इन्फ़्लक्स को कंट्रोल करने की बात करने से तो वह ऐक्ट चलेगा ही नहीं। हमारा इंटरप्रेटेशन (interpretation) दूसरा होगा। इसलिये इस बारे में वहां से आनेवालों के रास्ते में कोई मजबूरियां न हों। ऐसी हालत में तो उन आदमियों की मुसीबतों को देख कर हमें उन के साथ हमदर्दी होगी। हम कोशिश करेंगे कि यह इन्फ़्लक्स न हो और हमारी गवर्नमेन्ट, हमें उम्मीद है, इस में अवश्य कामयाब होगी कि हिन्दू हों या मुसलमान किसी को तंग या ज्यादती करने का मक़सद हमारी गवर्नमेन्ट का नहीं होगा।

इतनी बात वाजेह कर के मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपसभापति महोदय, इस प्रस्ताव का विरोध हमारे सम्माननीय मित्र श्री गुहा ने किया है, इसके लिये मैं उन को बधाई देता हूं। मुझे इस का पता नहीं कि समर्थन किया या विरोध किया परन्तु जो उन्होंने अखंड भारत की जयजयकार की उस के लिये मैं उन को हार्दिक बधाई देता हूं और यदि इस प्रस्ताव के साथ ही साथ सरकार की तरफ़ से नेहरू लियाक़त पैक्ट की समाधि बनाने का

[श्री वी० जी० देशपांडे]

प्रस्ताव भी आता तो अच्छा होता, ऐसा उन्होंने कहा। मेरी समझ में इस बात में एक ही बात बुरी है और वह यह कि उन्होंने दफ़नाने की बात कही है। यह जो प्रथा है वह पाकिस्तान की और ईसाइयों की है, हिन्दुस्तान में तो चिता में जलाया जाता है। अगर इस पैक्ट को श्मशान में जलाया जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा मैं समझता हूं।

उपसभापति महोदय, जब मैं इस प्रस्ताव को देखता हूं तो जिस प्रकार की भावनायें मेरे सम्माननीय मित्र श्री गुहा जी के हृदय में आईं, इसी प्रकार की भावनायें मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों के हृदयों में आई हैं चाहे वह किसी पक्ष का सदस्य हो। इस देश के टुकड़े होने के पश्चात् जैसी भावनायें आईं उसे देखते हुए तो मैं समझता हूं कि देश का विभाजन भी देश का द्रोह था। लेकिन उस समय में आशा करता था कि शायद उन विपत्तिग्रस्त लोगों को बचाया जावेगा। मुझे स्मरण है कि पंजाब में जब हत्याकांड हो रहा था, दिल्ली में जब हत्याकांड हो रहा था तब हमारे प्रधान मंत्री यहां चांदनी चौक में खड़े हो कर यह कहने लगे कि यदि दिल्ली और पंजाब में अत्याचार न होता तो मैं पश्चिमी पंजाब में फ़ौजों को ले कर चला जाता और वहां के हिन्दुओं को बचाता। मैं कहना चाहता हूं कि उन के विचार को बंगाल के हिन्दुओं ने माना, उस सलाह के एक एक अक्षर का वह पालन कर रहे हैं जो कि नेहरू-लियाक़त पैक्ट में दी गई थी। पाकिस्तान की तरफ़ से यह पैक्ट तोड़े जाने के पश्चात् भी जब इस सभा में हमारे मंत्रिगण आते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल के हिन्दुओं के साथ इतने अत्याचार किये जाने के बावजूद भी उन की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं करते। हम ने इन अत्याचारों के पश्चात् नेहरू-लियाक़त पैक्ट किया। और उस पैक्ट करने में कहा गया कि भारत में जो सम्प्रदायवाद है उसके कारण पाकिस्तान में इस प्रकार की बातें हुई। इसलिये इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार तो हमारे खिलाफ़ है ही, हमारी सरकार भी हमारे खिलाफ़ है। पाकिस्तान में लियाक़त अली खां ने कभी नहीं कहा कि मुसलिम लीग के कारण यह सब हो रहा है, नाजिम उद्दीन भी ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन पंडित नेहरू को जो भ्रम सेकुलरिज्म (secularism) का है, जो उन के दिल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का भ्रम है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि बंगाल में जो ७० लाख हिन्दू जनता है उस को बचाने के लिये कहना उस से सहानुभूति प्रकट करना यह भी उन को साम्प्रदायिकतावाद की बात मालूम होती है।

हम समझते हैं कि यह धर्मान्धता है, साम्प्रदायिकता है, फिरक़ापरस्ती है। इस का विवेचन करने के लिये मैं यहां नहीं आया हूं। मैं सोचता हूं कि आज पूर्वी बंगाल के ५० या ६० लाख हिन्दुओं के जीवन की कोई सुरक्षितता नहीं है, उन की सम्पत्ति की सुरक्षितता नहीं है। हमारी देवियों के सम्मान और सतीत्व की सुरक्षितता नहीं है। उन को बचाने के लिये हम क्या कर सकते हैं यही हमारा सवाल है। अभी तक कम से कम एक सुविधा थी कि वहां से जो भाग कर यहां आना चाहता था वह आ सकता था लेकिन अब वह भी नहीं रही। पाकिस्तान ने मांग की कि परमिट सिस्टम (Permit System) हटा कर पासपोर्ट सिस्टम (Passport System) जारी कीजिये और हमारी सरकार ने इस को स्वीकार किया, और आज हमारी सरकार इस बारे में

यह घोषित करने आई है कि इस के पश्चात् पाकिस्तान से आने के लिये पासपोर्ट लेना होगा। इस का अर्थ यह हुआ कि इस के पश्चात् पाकिस्तान में जो हिन्दू जनता रहती है उस का बचाव हम नहीं कर सकेंगे। हमारे मित्र अचितराम जी का हृदय बहुत कोमल है। उन्होंने बतलाया कि सेविंग क्लाज (saving clause) के अन्तर्गत जो लोग यहां आयेंगे उन को सजा नहीं दी जायेगी। लेकिन हम को पता नहीं कि सरकार के हृदय में क्या है। पाकिस्तान के साथ तो हमारी सरकार दुःखहारक, सुखकारक कोमल स्पर्श करने के लिये उत्सुक है, लेकिन जो हमारे हिन्दू शरणार्थी यहां आयेंगे उन को उसी प्रकार से सरकार का कोमल स्पर्श मिलेगा या नहीं इस का हम को पता नहीं है। चूंकि मैं सम्प्रदायवादी हूं इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि कम से कम जो हिन्दू यहां आयें उन को सजा न दी जाय। मुसलमानों के लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद में यह बात गलत हो सकती है। मैं सिर्फ़ यह कहूंगा कि सेविंग क्लाज के अन्तर्गत हिन्दुओं को सजा न दी जाय। मैं ने देखा कि पंडित नेहरू ने उच्च स्वर से यह घोषणा की कि चाहे कोई भी मुझे दोष दे लेकिन मैं ऐपीजमेन्ट (appeasement) करूंगा, मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाता रहूंगा। पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे लेकिन मैं ने जो वचन दिया है उस का प्रतिपालन करूंगा, रामचन्द्र और सत्य हरिश्चन्द्र के अनुसार जिस न स्वप्न में भी दिया हुआ अपना वचन पूरा किया था, जो जो वचन मैं ने दिये हैं उन का पालन करूंगा। कहा जाता है कि अब पाकिस्तान से हिन्दुओं का आना बन्द हो गया है। पर मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। पाकिस्तान ने बीट आफ़ ड्रम (beat of drum) से यह प्रचार किया था कि जो लोग हिन्दुस्तान में जायेंगे वह क़ैद कर लिये जायेंगे इसी कारण वह लोग वहां अब नहीं आ रहे हैं। हमारे यहां के प्रधान मंत्री और कांग्रेस के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वहां पर हिन्दुओं का जीवन, उन की सम्पत्ति और सम्मान सुरक्षित नहीं है। इसलिये मैं अपनी सरकार से यह चाहता हूं कि वह केवल यही घोषित न करे कि जो हिन्दू पाकिस्तान से यहां आयेंगे उन को सजा नहीं दी जायेगी, बल्कि यह भी घोषित करे जो जो हिन्दू यहां आयेंगे उन को आने का खर्चा दिया जायेगा और उस के पश्चात् उन को बसाने की सारी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। सरकार को यह घोषित करना चाहिये। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई शर्त ऐसा करने में आप के रास्ते में नहीं आ सकती। उपसभापति महोदय, हमारे विरोधी पूछेंगे कि इतने आदमियों को आप कैसे बसा सकेंगे, इस काम के लिये पैसे कहां से आयेंगे? पर यह पैसे का सवाल मेरे सामने नहीं है। मैं तो सम्प्रदायवादी हूं। मैं तो उन मरने वालों को बचाना चाहता हूं। यह कहना मेरे लिये पाप समझा जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि वहां उन का जीवन, सम्पत्ति और सम्मान असुरक्षित है तो उन को बचाने के लिये आप को करोड़ों रुपया खर्च करना चाहिये। खादी के लिये आप एक एक गज कपड़े पर तीन तीन पैसा कर लगाने को तैयार हैं लेकिन उन लोगों का जीवन बचाने के लिये आप टैक्स लगाने को तैयार नहीं हैं। चूंकि आप की देशभक्ति दिखाई दे और देश पर खादी का राज्य रहे इसलिये आप गरीब आदमी पर एक गज कपड़े पर तीन पैसे कर लगाने को तैयार हैं परन्तु इन लोगों का जीवन बचाने के लिये कोई खर्च न पड़े ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन इस के

[श्री वी० जी० देशपांडे]

जिये मेरे पास एक रास्ता है और वह रास्ता बहुत साफ़ है। लोग पूछेंगे कि इतना पैसा कहां से आयेगा ? मेरा रास्ता तो यह है कि अगर वहां से ७० लाख हिन्दू आते हैं तो ७० लाख मुसलमान यहां से पाकिस्तान भेज दिये जायें और जो उन के मकान, दुकानें, और सम्पत्ति हो उस पर उन हिन्दुओं को बसाया जाय। यह रास्ता साफ़ है और मैं इसलिये इस को आप के सामने रखना चाहता हूं कि यही शान्ति का रास्ता है। पंडित नेहरू का और पाकिस्तान वालों का जो रास्ता है उस से खून की नदियां बह जायेंगी। इतिहास हम को इशारा दे रहा है। हम ने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब पंजाब का विभाजन हुआ था तो डाक्टर अम्बेडकर और दूसरे लोग भी महात्मा गांधी जी के पास गये और बताया कि जब तक जनसंख्या का विनिमय न हो जाय और सम्पत्ति का विनिमय न हो जाय आप पाकिस्तान को स्वीकार न कीजिये। महात्मा जी ने और पंडित नेहरू ने कहा कि यह तो हम सोच भी नहीं सकते, इस का तो हम विचार भी नहीं कर सकते। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। उन के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की विजय हुई लेकिन इतिहास ने बदला ले लिया और हम ने देखा कि पंजाब में क्या हुआ और महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी जनसंख्या का विनिमय हो गया। आज भी मैं इतिहास का वही इशारा पंडित नेहरू को और कांग्रेस को देना चाहता हूं। पंजाब का इतिहास आप ने देख लिया। आप यह क्यों समझ रहे हैं कि जो पंजाब में हुआ था वह बंगाल में नहीं होगा। यह आप के मस्तिष्क में क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं। इतिहास ने आप को सन् ४७ में चेतावनी दी। सन् १९५० में दूसरा इशारा आप को दिया गया, सन् ५२ में तीसरा इशारा आप को मिला। लेकिन बुरबान के बारे में जैसा कहा जाता था They have learnt nothing and they have forgotten nothing न उन्होंने कुछ सीखा है न उन्होंने कुछ भूला है। पंजाब के इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली है यह हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि यहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है। पंडित नेहरू इस देश में शान्ति रखेंगे और मैं भी चाहता हूं कि शान्ति रहे। आप ने शान्ति रखने का व्रत तो लिया है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान भी यह व्रत न ले तो आप कब तक शान्ति रख सकेंगे। आपने देखा है कि पाकिस्तान में एक योजना के अनुसार हिन्दुओं का दमन हो रहा है। उस के फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक बार २७ लाख हिन्दू यहां आये, फिर १० लाख आये। इसी प्रकार से लाखों और आते जायेंगे। जब पाकिस्तान में इस प्रकार का आतंक चलता रहेगा और जब लाखों लोग यहां आ जायेंगे तो मैं नहीं समझता कि पंडित नेहरू का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद कब तक चलता रहेगा। मुझ से एक बार एक पुलिस अफ़सर ने पूछा कि बताइये कि पंजाब में मुसलमानों का कत्ल किस ने किया ? मैं ने जवाब दिया कि कांग्रेसवादियों ने किया। और दूसरा कौन करने वाला था . . . .

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): On a point of order, how is all this relevant to the Bill under discussion?

Shri V. G. Deshpande: I do not yield Sir.

Shri A. P. Jain: I have raised a point of order and seek your ruling whether all these matters are relevant to the present Bill under discussion.

Shri V. G. Deshpande: It is relevant.

Mr. Deputy-Speaker: The migration of X or Y is not the point at issue here.

The Influx from Pakistan (Control) Repealing Ordinance was promulgated to repeal the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949. The Bill now under discussion seeks to convert the provisions of that Ordinance into an Act. I thought the hon. Member, whatever he might have said, was drawing to a close. I take it he has concluded.

Shri V. G. Deshpande: I will take two minutes more.

Mr. Deputy-Speaker: But he will speak relevantly.

Shri V. G. Deshpande: I shall submit to your ruling, Sir.

मैंने उन को जवाब दिया कि सन् १९४५ के निर्वाचन के अन्दर इतने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। और बताने के लिये आप कहते हैं कि पंजाब में और हिन्दुस्तान में ९० फ़ी सदी जनता हमारे पीछे है। आप कहते हैं हिन्दू सभा तो जनता तक पहुंची नहीं है और देहात के अन्दर हिन्दू सभा पहुंची नहीं है। तो देहात के लोगों ने आ कर क़त्ल किये और खून की नदियां बहाई हैं जो आप के पीछे हैं। कहने के लिये आप कहते हैं कि हिन्दू सभा और आर० ऐस० ऐस० संस्थायें इस के लिये जिम्मेवार हैं। शायद लियाक़त अली खां, वह तो अल्लाह के घर गये, लेकिन नाज़िमुद्दीन साहब और बाक़ी दुनिया के सामने बताने के लिये आप कहते हैं कि . . . .

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is carrying on an electioneering campaign!

Shri Gadgil (Poona Central): There is some rule about relevancy here in the House also!

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं यह इशारा इतिहास का दे रहा था कि आप इस प्रकार से वह काम नहीं करेंगे और खाली धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात चलाते रहेंगे तो जो शान्ति आप रखना चाहते हैं वह निर्माण नहीं होगी। इस के लिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो सेविंग क्लाज है, यह जो लोग अपनी जान बचाने के लिये आ रहे हैं उन पर नहीं लगना चाहिये। आने वाले लोगों के लिये भी आप को उचित प्रबन्ध करना चाहिये। जो ग़रीब लोग वहां से यहां अपनी जान बचाने के लिये आते हैं उन का आप को प्रबन्ध करना चाहिये। खाली रिपील (Repeal) करने से यह कार्य नहीं होगा।

इतना ही कह कर मैं इस विषय पर अपना मत प्रकट करता हूं।

The House then adjourned till a Quarter to Eleven of the Clock on Friday, the 28th November, 1952.